न्यायालय अवर न्यायाधीश

सोनपुर सारण।

बंटवारा वाद सं0–826 सन् 2013

राजबलम राय वगैरह............................वादीगण।

बनाम

रामदहीन राय वगैरह...................................प्रतिवादीगण।

दिनांक– 29.08.2023

उभय पक्ष की ओर से हाजिरी है। आज अभिलेख वादी की ओर से आदेश 22 नियम 04 वो धारा 151 सी0पी0सी0 के अंतर्गत दाखिल आवेदन दिनांक 14.08.2023 पर आदेश हेतु नियत है। अभिलेख आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया।

आदेश

वादी का आवेदन में कथन है कि उपरोक्त वाद के प्रतिवादी सं0 01 राम दहीन राय की मृत्यु दिनांक 03.01.2021 को हो गई है। प्रतिवादी सं0 01 के कानूनी वारिसानों को उनके स्थान पर प्रतिस्थापित करना न्यायहित में जरूरी है। अतः निवेदन है कि मृत प्रतिवादी सं0 01 रामदहीन राय का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। वादी की ओर से धारा–5 परिसीमा अधिनियम के अंतर्गत विलंब माफ करने तथा एबेटमेंट सेटेसाईट करने हेतु भी आवेदन दाखिल किया गया है।

प्रतिवादी की ओर से उपरोक्त आवेदन का प्रतिउत्तर दिनांक 29.08.2023 को दाखिल कर वादी के उपरोक्त प्रतिस्थापना आवेदन का विरोध किया गया है।

उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विगत तिथि को सुना एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख के अवलोकन से विदित होता है कि प्रस्तुत वाद में प्रतिवादी सं0 01 रामदहीन राये थे जिनकी मृत्यु दिनांक 03.01.2021 को हो गई है। वादी उक्त प्रतिवादी सं0 01 का नाम वादपत्र से कलमजद कर उनके कानूनी वारिसानों को प्रतिस्थापित करने हेतु आवेदन विलंब से दाखिल किया गया है जिसके कारण वाद अबेट कर गया है। अतः वादी की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 14.08.2023 को 500/–रूपये खर्चा के साथ विलंब माफ करते हुए एवं उपसमन अपास्त करते हुए न्यायाहित में स्वीकृत किया जाता है। वादी खर्च की राशि प्रतिवादी को प्रदान करें।

वाद दिनांक.....................को अग्रिम कार्यवाही हेतु।

सब जज

सोनपुर, सारण।